अल्लाह से बदले (प्रतिदान) की उम्मीद रखते हुए सब कुछ सहन कर लिया।

अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं,

'गोया मैं (मन की आँखों से) पैग़म्बर (स़ल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को देख रहा हूँ कि आप एक नबी (ईशदूत) का बयान कर रहे थे जिन्हें उनकी क़ौम ने मारा-पीटा था और वह अपने चेहरे से खून पोंछते हुए कह रहे थे, 'ऐ अल्लाह! मेरी क़ौम को माफ़ कर दे क्योंकि वह नहीं जानती।' (स़ह़ीह़ बुखारी व स़ह़ीह़ मुस्लिम)

जुन्दुब बिन सुफ़यान कहते हैं, **एक लड़ाई के दौरान पैग़म्बर (स़ल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की अंगुली घायल हो गई तो आपने फ़र्माया, 'तू एक अंगुली है जो घायल हो गई है, जो तकलीफ़ तुझे पहुंची है वह अल्लाह के रास्ते में है।'**

(स़ह़ीह़ बुखारी व स़ह़ीह़ मुस्लिम)

3. इख़्लास (निःस्वार्थता) :

पैग़म्बर ह़ज़रत मुह़म्मद (स़ल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) कोई भी काम सिर्फ़ अल्लाह को ख़ुश करने के लिये करते थे। आप अपने तमाम कामों और मामलों में मुख़्लिस़ (निःस्वार्थ) थे। जगत के पालनहार अल्लाह तआ़ला ने आपको इस काम का ही हुक्म दिया है। क़ुर्आन में है,

> **'आप कह दीजिये कि बेशक मेरी नमाज़ और मेरी सारी इबादतें (उपासनाएं) और मेरा जीना और मेरा मरना; ये सब अल्लाह ही के लिये है जो सारे संसार का पालनहार है, उसका कोई साझी नहीं और मुझे इसी का हुक्म मिला है और मैं सब मानने वालों में से पहला हूँ।'**
>
> (सूरह अन्आम : 162-163)

4. सद्व्यहार (ख़ुश-अख्लाक़ी) और सामाजिकता :

आपकी बीवी ह़ज़रत आ़इशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से जब आप के अख़लाक़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, **'क़ुर्आन ही आपका अख़्लाक़ था।'** (मुस्नद अहमद)

क़ुर्आन में जिन विशेषताओं और गुणों का उल्लेख किया गया है वे उन सबको अपनाने वाले और अपने आपको उनके अनुसार ढालने वाले थे। जिन ज़ाहिरी या बात़िनी (प्रत्यक्ष या परोक्ष) बुराइयों से क़ुर्आन ने रोका है उन्हें त्यागने वाले थे। इसमें कोई ताज्जुब (आश्चर्य) की बात नहीं है क्योंकि आप का ही यह फ़र्मान है,

'अल्लाह ने मुझे अख़्लाक़े-ह़सना (सद्व्यवहार) और अच्छे कामों की तक्मील (पूरा करने) केलिए भेजा है।' (अदबुल मुफ़र्रद लिल-बुखारी, मुस्नद अहमद)

मानवता के हितचिंतक सच्चे नबी

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के अख़लाक़ (आचरण) के बारे में जान लेने के बाद इस बात पर क़रीब-क़रीब सभी लोग सहमत होते हैं कि आप एक आदर्श इन्सान थे। आप जैसा दूसरा कोई इन्सान इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आख़िर कैसे मान लिया जाए कि वो अल्लाह के सच्चे नबी थे। ऐसा ही एक सवाल कुछ बरस पहले उत्तर प्रदेश के एक वकील ने किया था, जिसका तर्कसंगत जवाब **सैयद अ़ब्दुल्लाह तारिक़** ने दिया था। हमारे पब्लिकेशन की किताब **'गवाही'** से इस लेख के संशोधित रूप को प्रकाशित किया जा रहा है।

सवाल : आख़िर वह विशेष व्यक्ति (अहम शख़्स) या पैग़म्बर जो दूसरों से कहेगा वह उसकी सुनी हुई बात होगी जो अन्य सबके लिये सुने और कहे हुए (Hear-Say) के दरजे का ही अप्रमाणित साक्ष्य होगा। वह सन्देश वेदों के लिये अल्लाह का कहा हुआ नहीं बल्कि उस विशेष व्यक्ति का कहा हुआ ही होगा जो यह कहता है कि ईश्वर या अल्लाह ने उससे ऐसा कहा था। ऐसी क़ानून नज़र में घटिया गवाही है। क्या ज़मानत है इस बात की कि मुहम्मद साहब अल्लाह के पैग़म्बर है? सिर्फ़ मुहम्मद साहब का अपना बयान, बुद्धि और विवेक की नज़रों में ठोस षुबूत नहीं माना जा सकता। किसी ने फ़रिश्तों को आते हुए और मुहम्मद साहब को आयते सुनाते या पैग़ाम देते हुए नहीं देखा, और न ही कोई और प्रमाण है इस श्रद्धा-जन्य (अ़क़ीदत से उपजी) धारणा के पक्ष में।

जवाब : जहाँ तक क़ानूनी षुबूत (प्रमाण) की बात है, प्रमाण तो उस रूप में भी नहीं हो सकता जिसका आपने प्रस्ताव रखा है। मान लीजिये कि अगर एक व्यक्ति कहता कि मेरे